

फर्द अहकाम
गिरदारीलायत ~~बनाम~~ / सुकरकिं

माल्याहासक कालापर (फाट देक) आमेर
पुल्यालय-जबपुर
या 120/2025

(या.पा. ली.कावे.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/01/26	<p>पगावली पैशा दई। अचिववत्तागण अप्यपुत्र उपस्थित। वरस जार्थनापण ली. कावे. के तथ्यो पर कतन किया व पगावली में उपलब्ध इतिहासगत का गहनतापूर्वक इरोकन किया। जार्थनापण ली. कावे. में कथित तथ्यो को दोहराते हुए अचिववत्ता जार्थनापण इस अपनी वरस में कथन किया गया कि वडे जाम बुद्धपुरा नदीपु डांगर जिला जदपुर स्थित भूमि खतबानम्बर 176, 177, 178, 186, 238, 251, 416, 441, 472, 476, 481, 474, 497/2 कुलावतरा जिला 13 कुल रकबा 1.88 है। जार्थनापण की एकल अकलिखित खतबानामा की भूमि है। जित पर जार्थनापण कपने पूर्वजो के डाल से निरकर काविल होकर काबत करे काटे है। जार्थनापण का.प. का उक्त भूमि से कोई नम्बर-सरोकार नही है। जार्थनापण की उपरोक्त कथित खतबानामा भूमि के अन्तर्गत भूमि खतबानां 497/2 के सीमा लगावा जार्थनापण-1 की खतबानामा की भूमि खतबानां 883/499 रकबा 0.1380 स्थित है जित पावह काविल है। जार्थनापण-1 द्वारा हाल ही में जार्थनापण के खतबानाव की भूमि खतबानां 497/2 के कपने खतबानां 883/499 की सीमा पर जार्थनापण के खतबानां 497/2 की सीमा भूमि पर भ्रंश अतिक्रमण करे निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिस पर जार्थनापण द्वारा खतबानां 497/2</p>	

फर्द अहकाम
गिरकारीलाल व अन्य सुकर सिंह
बनाम

नाम न्यायालयसहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
केस संख्या 120/2025

(या.पा.ली.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/01/26	<p>अपील नं. 883 (अपील-1) के कथे निकायन के अभाव में निर्माण कार्य नहीं करने का मत निवेदन (निवेदन क्रमांक अपील-1 द्वारा सफर देकार करत) परन्तु अपील को विहित उद्यम सीधतक परीक्षा के बिना अपील को अग्रणी-1 के अतिरिक्त कृपा देना वादकाय उद्यम होकर वादकाय या.पा.ली.आई. के उक्त निर्माण कार्यक व लाजमी हुआ है। जिसे अन्ततः अपील अग्रणी-1 को उक्त अतिरिक्त निर्माण कार्य देना मुलकाय के निकायन रुक पावक करीब के अधिकारी न जिस बाबत पर अपील-1 को निर्देशित नहीं किया गया तो अपील-1 अपील की मुक्ति में अवैध अतिरिक्त कर निर्माण कार्य कर लेगी। जिससे अपील अपन ही स्वीकार एवं रुक तथा कथे वादकाय की मांगी मुक्ति के उपयोग-उपयोग से वंचित हो जायेगी तथा अपील को अपूर्णतया अति कारिण होगी। अतः अपीलवा स्वीकार निर्माण कर अपीलवा के मुलकाय के निकायन रुक अपील निवेदन से पावक कारिकाय जो कि वह वादकाय मुक्ति अग्रणी लपदा नं. 497/2 व सफरानं. 883/499 के कथे निकायन के अभाव में उक्त मुक्ति के किसी प्रकार का निर्माण कार्य नाकरे तथा वादकाय मुक्ति के मोक्ष व सफर देकार की शक्यता बनाये रखे।</p> <p align="right">या.पा.ली.आई. निवेदन -- P.T.O.</p>

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम
गिरकारीलाल व अन्य सुकर सिंह
बनाम

नाम न्यायालयसहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
केस संख्या 120/2025

(या.पा.ली.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/01/26	<p>का जवाब प्रस्तुत कर जवाब अपीलवा में वर्णित मुक्ति को दोहराए गए अतिरिक्त अपील द्वारा अपनी वकालत में उद्यम किया गया है कि अपील द्वारा सिन अपील-1 के अतिरिक्त तथा परमाणु कथे का उद्यम से जलत व अपील निकाय के अभाव पर वादकाय या.पा.ली.आई. के उक्त निर्माण कार्य देना अग्रणी-1 के विधि अन्ततः अपील अग्रणी एवं कथे वादकाय मुक्ति अग्रणी की मुक्ति को अपील की परिधि में पूर्व ही निर्माण कार्य को अतिरिक्त पर जाने पर शर्तित करने के मुक्ति व पूर्वोक्त उद्यम से अपीलवा ली.आई. प्रस्तुत कर वादकाय मुक्ति को दोहराए गए निकायन रुक को मुक्ति कर एक तरफा अग्रणी स्थान (अग्रणी) प्राप्त कर लिया गया है तथा उक्त अग्रणी अग्रणी स्थान को स्थायी लम्बा करके हुए अपील को अपने विधि अतिरिक्त की मुक्ति के उपयोग-उपयोग से वंचित करना चाहता है। जबकि अतिरिक्त मुक्ति सफरानं. 883 सफरानं. 499 0.1380 है। सिन अपील-1 की अतिरिक्त एक स्वीकारिता की विधि अग्रणी निकायन रुक मुक्ति है। जिसे पूर्व ही दिनांक 08/06/23 को विधि रुक निकायन ही किया जा चुका है। जिसे अग्रणी ही उचित वादकाय मुक्ति परिसर परिसर में ही अपील-1 का निर्माण तथा अपील के अभाव का निर्माण तथा निर्माण है। जबकि अपील की मुक्ति सफरानं. 497/2 का कोई विधि अग्रणी निकायन रुक</p> <p align="right">-- P.T.O.</p>

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

गिरधारी लाल व अन्य बनाम सुकर सिंह
फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक जज क्लर्क (फास्ट ट्रेक) आमेर
 केस संख्या 120/2025 (प्रा.पा. ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/01/26	<p>मी नही है, ना ही प्राप्तिगण द्वारा मिन कृषी की मूक्ति के सीमाखान को कमी को सुनोती ही सक्षम स्तर पर ही है। इसके उपरांत को रूपों की मूक्ति के विधि अनुसार सीमाखान के अभाव में ही प्राप्तिगण मिन कृषी को अपनी विधि अनुसार सीमाखान शुदा व उचित वाउड्रीवाल शुदा की परिधि में स्थित अपने कब्जाकारित शुदा को उपयोग से वांचत करना चांदा है तथा कसत्य, कृषी व कृषिक नथो के ऊंचत पर मिन कृषी को कृषी सीमाखान शुदा मूक्ति की परिधि में किराण व उपयोग उपयोग में वाचा उपयुक्त करना चांदा है किता कोई विधि कृषी प्राप्तिगण को अपनी मूक्ति के विधि सीमाखान के अभाव में प्राप्त नही है। अतः प्राप्तिगण का अधीनामा का आदेश विधेदार रवाणि परतप्य जये।</p> <p>हमने उक्त पत्रकारान कश्चित् गण की वहास सुनी, तथा पर मंगल मिन व पनावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पनावली के गहन अवलोकन व तथा के मंगल विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्राप्तिगण ली. आई. व अनिमि स्थान कृषी उपलवित मूक्ति खपता नं. 883/99 रकबा 0.1380 है। कृषी उतिवाडी की अधिमिषत कसत खोतदारिता की विधित सीमा खान शुदा मूक्ति है। जो कि प्रतुव तथा कृषी विधिगत व है। जिसे के सीमाखान रिपोर्ट की उलत की</p> <p style="text-align: right;">--- P.T.O. ---</p>

सहायक जज क्लर्क (फास्ट ट्रेक) आमेर
 मुख्यालय-जयपुर

गिरधारी लाल व अन्य बनाम सुकर सिंह
फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक जज क्लर्क (फास्ट ट्रेक) आमेर
 केस संख्या 120/2025 (प्रा.पा. ली. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/01/26	<p>जो है तथा यह को स्वकार्य/निष्कारित व है कि उक्त सीमाखान रिपोर्ट के संदर्भ में कोई भी ल/कार्यवाही संजुक्त स्तर पर लभित नही है। जिससे उक्त सीमाखान को वधता को नकारा नही जा सकता है। ना ही उक्त संदर्भ में कोई कसत प्राप्तिगण की कार के प्रतुव ही किता गदा है। अथवा - 1 की कार से प्रतुव कसत/कार्यवाही अनुसार वाप कसत उपलवित किता वाप वाउड्रीवाल शुदा मूक्ति की परिधि में किता गदा उचित है। जबकि प्राप्तिगण की कार से अपनी खोतदारिता की मूक्ति के सीमाखान के संदर्भ में कोई कसत प्रतुव कसत नही किता गदा है। ऐसी स्थिति में प्राप्तिगण का अधिमिषत कसत अपनी खोतदारिता की मूक्ति के सीमाखान के कसत विषय है। जिसे अभाव में प्राप्तिगण द्वारा सीमाखान शुदा मूक्ति के खोतदार को अपनी सीमाखान शुदा, वाउड्रीवाल शुदा मूक्ति की परिधि में अपने उपयोग - उपयोग से वांचत/निष्कारित किता सुना उपयोचत उचित/सिद्ध नही होता है। अधिमिषत कसत प्राप्तिगण अपनी मूक्ति के विधिगत सीमाखान हेतु स्वतंत्र है। जिसे कसत ही प्राप्तिगण की अधिमिषत पागतता साक्ष्यो का विषय है। जिसे हेतु मूलवाद लभित है। प्राप्तिगण मूलवाद में उचित नुसार कार्यवाही सापक कर कसत प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति के विधिगत सीमाखान व</p>	

सहायक जज क्लर्क (फास्ट ट्रेक) आमेर
 मुख्यालय-जयपुर

--- P.T.O. ---

फर्द अहकाम

गिरधारी लाल व अन्य बनाम सुमेर सिंह

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर

केस संख्या

120/2025

(प्र. पा. सी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23/01/26	<p>नदरुकर राज्य के अन्तर्गत अतिरिक्त खालेदार को अपनी सामाजिक सेवा सुविधा के उपयोग-उपयोग के संदर्भ में पाठ्य किताबें / क्लिपबोर्ड किताबें जमा न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः नतीजा के दृष्टिकोण प्रार्थनापत्र सी. आई. पोषणीय सिद्ध नहीं होने से पूर्व अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 03.11.25 को निरस्त किताबें जमा करने पर प्रार्थनापत्र अस्वीकार किए जाने स्वीकृत किया जाता है।</p> <p>निर्णय अनुवाद। जमा।</p> <p>पतावली फल शुरुआत होकर इन नदरुकर से कम हो। कोई नवीन आदेश देकर है।</p>	<p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर न्यायालय-जयपुर</p>